



2026:AHC:18095

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 354 वर्ष 2026

स्मिता यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : पवन कुमार भारद्वाज, प्रदीप कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार-IV और राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री पी.के. श्रीवास्तव की बात सुनी।
2. एकमात्र प्रार्थना प्रतिपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की है, जो दिनांक 15.07.2025 के सूचना से स्पष्ट है।
3. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यदि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, तो वह निर्णय लिया जाएगा।
4. बार में प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जाता है कि प्रतिपक्षी संख्या 5 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद प्रतिपक्षी संख्या 6 के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की छूट दी जाती है।

27 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।